



## जनपद गाजियाबाद प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 1-02-21

### **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया जिनके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद -**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 01/02/2021 को गौशाला फाटक के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से दौराने चैकिंग 01 नफर अभियुक्त गुलफाम पुत्र अलीम उर्फ अलीमुद्दीन को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद हुआ। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 0057/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1. गुलफाम पुत्र अलीम उर्फ अलीमुद्दीन निवासी लालटेन फैक्ट्री रोड कैला चौक कैला भट्टा थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद उम्र करीब 34 वर्ष

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त गुलफाम उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0 0057/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद

**बरामदगी का विवरण:-**

1- अभियुक्त के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद।



### **थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा तास के पत्तो से रुपयो की हारजीत की बाजी लगाकर जुआँ खेल रहे 02 अभियुक्तो को गिरफ्तार किया**

**जिनके कब्जे से 52 तास के पत्ते ,माल फड 100 रुपये एवं जामा तलाशी 200 रुपये बरामद -**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर महोदय श्री निपुण अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम श्री अभय कुमार मिश्र महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली श्री संदीप कुमार सिंह की टीम द्वारा दिनांक: 31/01/2021 को मुखविर खास की सूचना पर शिप्रा होटल निकट मोमीन की गाडियों के पास थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद से पुलिस टीम द्वारा तास के पत्तो से रुपयो की हारजीत की बाजी लगाकर जुआँ खेल रहे 02 नफर अभियुक्तगण 1.नईम पुत्र अमीर 2.तस्लीम पुत्र अब्दुल रसीद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 52 तास के पत्ते ,माल फड 100 रुपये तथा जामा तलाशी 200 रुपये बरामद हुये। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद पर मु0अ0सं0 0055/2021 धारा 13 जुआँ अधि0 पंजीकृत है।

**अपराध कारित करने का तरीका/पूछताछ का विवरण:-**

अभियुक्तगणो ने पूछताछ में बताया कि हम लोग तास के पत्तो से रुपयो की हारजीत की बाजी लगाकर जुआँ खेल रहे थे। तभी हम लोग पकड़े गये।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण:-**

1.नईम पुत्र अमीर निवासी ग्राम टाडा बादली थाना टांडा जिला रामपुर उ0प्र0

2.तस्लीम पुत्र अब्दुल रशीद निवासी ग्राम टाडा बादली थाना टांडा जिला रामपुर उ0प्र0

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त नईम उपरोक्त:-**

2. मु0अ0सं0 0जुआँ अधि 13 धारा 2021/0055 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

**आपराधिक इतिहास अभियुक्त तस्लीम उपरोक्त:-**

1. मु0अ0सं0 0जुआँ अधि 13 धारा 2021/0055 थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण:-**

2- अभियुक्तगण के कब्जे 52 तास के पत्ते . माल फड 100 रुपये तथा जामा तलाशी 200 रुपये बरामद।



### **थाना मसूरी पुलिस ने हत्या के 02 नफर वांछित अभियुक्तो को किया गिरफ्तार**

**\*दिनांक:- 01/02/2021**

दिनांक 30.01.2021 को श्री मौहसीन पुत्र सिराजु निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी गाजियाबाद द्वारा थाना आकर सूचना दी कि सलमान पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जिला गाजियाबाद ने मेरे चाचा शौकीन उम्र 35 वर्ष की हत्या कर दी है। इस सूचना पर तत्काल मु0अ0सं0 38/21 धारा 302, भादवि बनाम 1- सलमान पुत्र सलीम 2- शाहिद पुत्र कलवा 3 साजिद पुत्र सलीम 4 सलीम पुत्र वहीद निवासीगण ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद पंजीकृत किया गया।

**कार्यवाही -** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद महोदय श्री कलानिधि नैथानी ने उपरोक्त घटना की गम्भीरता के दृष्टिगत श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री ईरज राजा को हत्या के वांछित अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करने के लिये निर्देशित किया गया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के कुशल निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी सदर श्री कमलेश नारायण पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी (प्रशि0) श्री सुनील कुमार शर्मा के पर्यवेक्षण में अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दिनांक

31.01.2021 को प्रभारी निरीक्षक श्री राघवेंद्र सिंह द्वारा टीम बनाकर उ0नि0 श्री जसवन्त सिंह, का0 1813 नरेन्द्रपाल, का0 80 अरविन्द कुमार मय का0 3143 मोहित कुमार को तुरन्त रवाना किया गया तथा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 31.01.2021 को उपरोक्त टीम द्वारा अभियुक्तगण (1) साजिद पुत्र सलीम (2) शाहिद पुत्र कलुवा निवासीगण ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद को ग्राम नाहल चौराहे से समय करीब 22.15 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण साजिद व शाहिद उपरोक्त जेल भेजा जा रहा है।

**घटना का विवरण:-** अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि ग्राम नाहल मे खेल के दौरान आपस मे झगडा हो गया था जिसमे सलमान द्वारा तमंचे से शौकीन को गोली मार दी जो मौके पर ही गिर गया था आपके द्वारा जो तमंचा सलमान से बरामद किया था। उसी से सलमान ने शौकीन को गोली मारी थी। हमने डंडे से मारा था।

**नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त :-**

1. साजिद पुत्र सलीम निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।
2. शाहिद पुत्र कलुवा निवासी ग्राम नाहल थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।

**बरामदगी का विवरण:-**

1. हत्या में प्रयुक्त एक डंडा।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु38 0स0अ0/2021 धारा 302 भादवि थाना मसूरी जनपद गाजियाबाद।



**साइबर सैल गाजियाबाद व थाना कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा शादी के नाम पर झांसा देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपये की ठगी करने वाले एक विदेशी नागरिक सहित 05 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।**

**अनावरण:-** बिहार की रहने वाली शिकायतकर्ता जो पेशे से असम में वैज्ञानिक है से अभियुक्तगण द्वारा अमेरिकी नागरिक बनकर शादी करने के नाम पर MATRIMONIAL SITE ( JEEVANSATHI.COM, SAADI.COM etc.) पर फर्जी आई0डी0 बनाकर झांसा देकर धोखाधड़ी से लगभग 07 लाख रुपये लेने के संबंध साइबर सैल गाजियाबाद में प्राप्त शिकायत प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशानुसार, क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम/साइबर अपराध के नेतृत्व में साइबर काइम सैल गाजियाबाद द्वारा जांच की गयी। जांच के दौरान पाया गया कि आवेदक से ठगों द्वारा लगभग पिछले 3-4 माह से विदेश में शादी के नाम का लालच देकर तथा जरूरत बताकर पैसे ले लिये गये हैं। जांच के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना का सफल अनावरण करते हुए एक विदेशी नागरिक सहित कुल 05 अभियुक्तों को दिनांक 31.01.2021 को समय 22.10 बजे जिला एम0एम0 जी अस्पताल गेट नं0-2 के पास से गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 03 अदद फर्जी पैन कार्ड, 42 अदद ए0टी0एम0 कार्ड, 23 अदद चैक बुक, 15 अदद बैंक पासबुक, 03 अदद वोटर आई0डी0 कार्ड, 07 अदद आधार कार्ड, 01 अदद पासपोर्ट, 04 अदद फर्जी मोहर, 04 अदद मोबाइल, 01 अदद कार आदि बरामद कर उपरोक्त धोखाधड़ी के संबंध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0- 56/2021 धारा- 420, 467, 468, 471 एवं 34 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक कर जेल भेजा जा रहा है।

**अपराध करने का तरीका :-** पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि हम लोग MATRIMONIAL SITE ( JEEVANSATHI.COM, SAADI.COM etc.) पर अपनी फर्जी आई0डी0 बनाकर स्वयं को डॉक्टर, इंजीनियर, व्यवसायी आदि हाई प्रोफाइल व्यक्ति दर्शाते हैं, शादी करने का झांसा देते हैं। उसके बाद पीडित का विश्वास जीतकर उससे मिलने के बहाने तथा मंहगे उपहार भेजने के बहाने इण्डिया आने का भरोसा देते हैं तथा स्वयं को अचानक एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा पकड़े जाने की बात बताकर इण्डियन करेंसी में रुपये की आवश्यकता बताकर अपने साथियों के विभिन्न खातों में मोटी रकम ले लेते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने असम में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत एक महिला से लगभग 07 लाख रुपये गिरफ्तार अभियुक्त मनीष तथा विदेशी YAZZID ABEDOH तथा अन्य खातों में ले लिये थे।

**गिरफ्तार अभियुक्त :-**

1. अक्षय तलवार उर्फ सनी पुत्र पंकज तलवार निवासी-संकर भवन एस0बी0आई0 बैंक लाइनपार के पास मुरादाबाद। उम्र लगभग 24 वर्ष, शिक्षा-
2. YAZZID ABEDOH S/O YAHAYA R/0-ROOM 215 QUBE HOTEL PS-ECO VILLAGE NOIDA AND PERMANENT ADDRESS- 740 STRAVAG CLOSE LIFE CAMP ABUJA NIGERIA. Age-25 Yr. Education- B.Sc (For. Sc) Jain College, Bangalore.
3. प्रिन्स पुत्र स्व0 शिवराज शर्मा नि0-काकडा मुरादनगर गाजियाबाद। उम्र लगभग 23 वर्ष, शिक्षा बी0कॉम
4. अजीत सिंह पुत्र हरवीर सिंह नि0-गोपालपुर गुड मण्डी के सामने रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद। उम्र लगभग 28 वर्ष शिक्षा एम0ए0 एजुकेशन।
5. मनीष कुमार उर्फ मोनिश पुत्र जयप्रकाश नि0-जीतपुरा गली नं0-1 रावली रोड मुरादनगर गाजियाबाद। उम्र लगभग 21 वर्ष शिक्षा 10 वीं

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहास :-**

1. YAZZID ABEDOH S/O YAHAYA मु0अ0सं0-229/2018 धारा-420, 467, 468, 471 भादवि 3/14 विदेशी अधि0 थाना- सै0-9ए गुरुग्राम हरियाणा

### बरामदगी:-

1. 42 अदद ए0टी0एम0 कार्ड,
2. 23 अदद चैक बुक
3. 15 अदद बैंक पासबुक
4. 03 अदद वोटर आई0डी0 कार्ड,
5. 07 अदद आधार कार्ड
6. 01 अदद पासपोर्ट
7. 04 अदद फर्जी मोहर
8. 04 अदद मोबाइल
9. 01 अदद कार



### थाना इन्दिरापुरम

**थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से 550 ग्राम नशीला पाउडर बरामद**

दिनांक 01/02/2021

### कार्यवाही-

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के पर्यवेक्षण में तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर तृतीय महोदय के कुशल नेतृत्व में थाना इन्दिरापुरम पुलिस द्वारा दि 01/02/2021 को झुग्गी झोंपड़ी अभयखण्ड चौकी क्षेत्र से हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त गौरव उर्फ मुरली पुत्र वकील साह नि 0 इन्दिरापुरम पब्लिक स्कूल के सामने झुग्गी झोंपड़ी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 550 ग्राम नशीला पाउडर अलप्राजोलम बरामद हुआ है।

### अपराध करने का तरीका

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि मैं सस्ते दाम पर नशीला पाउडर खरीदकर, ऊंचे दामो पर नशा करने वाले लोगों को बेच कर अवैध धन अर्जित करता हूँ।

### नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त :

**हिस्ट्रीशीटर गौरव उर्फ मुरली पुत्र वकील साह निवासी इन्दिरापुरम पब्लिक स्कूल के सामने झुग्गी झोंपड़ी थाना इन्दिरापुरम गाजियाबाद बरामदगी**

550 ग्राम नशीला पाउडर, अलप्राजोलम

### गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1 मु0अ0सं0131/2021 धारा 8/21 एनडीपीएस थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 2 मु0अ0सं0131/2019 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 3 मु0अ0सं02215/2019 धारा 60/63 एक्स0एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 4 मु0अ0सं03283/2018 धारा 8/20 एनडीपीएस थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 5 मु0अ0सं01871/2018 धारा 380/411 भादवि थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 6 मु0अ0सं0 1878/2018 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद
- 7 मु0अ0सं0 41/2020 धारा 3/4 गुण्डा एक्ट थाना इन्दिरापुरम गा0बाद



### थाना लोनी

**थाना लोनी पुलिस द्वारा ग्राम कोतवालपुर चिरौड़ी में हुई हत्या की घटना का किया अनावरण, घटना में शामिल दो अभियुक्त गिरफ्तार।**

दिनांक 01.02.2021

**कार्यवाही-** श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद, श्री कलानिधि नैथानी महोदय द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्री अतुल कुमार सोनकर क्षेत्राधिकारी लोनी के निर्देशन में थाना लोनी पुलिस द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुये मु0अ0सं0 111/21 धारा 302/120बी भादवि थाना लोनी की घटना का सफल खुलासा करते हुए घटना में वांछित अभियुक्त 1 त्रिलोक चन्द भाटी पुत्र सुभाष चन्द भाटी नि 0 449 गली न 0 02, वेस्ट करावल नगर थाना खजूरी दिल्ली एवम उसकी महिला साथी अभियुक्ता को दिनांक 01/02/2021 को बन्धना फलाई ओवर के पास से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त त्रिलोकचन्द्र के कब्जे से घटना में प्रयुक्त आलाकतल एक अदद पिस्टल 32 बोर मय दो जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त एक KUV 100 K4 (MAHINDRA) गाडी हुई है।

## घटना का संक्षिप्त विवरण

दिनांक 30/01/2021 की रात्रि समय करीब 02.45 बजे ग्राम कोतवालपुर चिरोड़ी थाना क्षेत्र लोनी गाजियाबाद में श्यौराज सिंह की उसकी घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसके सम्बन्ध में मृतक के पुत्र विनोद द्वारा थाना लोनी पर सूचना दी गयी थी। घटना के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना लोनी पर मु0अ0स0 111/21 धारा 302 भादवि बनाम त्रिलोकचन्द्र आदि पंजीकृत किया गया था। घटना की गम्भीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गाजियाबाद महोदय द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को घटना के सफल अनावरण करने हेतु तत्समय आदेश निर्देश जारी किये गये। आदेश-निर्देशों के अनुक्रम में श्री ईरज राजा पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं श्री अतुल कुमार सोनकर क्षेत्राधिकारी लोनी द्वारा घटना स्थल पर पहुंचकर तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तथा मौके पर ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रभारी निरीक्षक लोनी के निर्देशन में तीन टीमों गठित की गयी। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा इस घटना के शीघ्र अनावरण हेतु अपनी टीम भी थाना लोनी पुलिस टीम के साथ लगायी गयी, सभी के द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास किये गये। गठित टीमों द्वारा 48 घण्टे के अन्दर घटना को कारित करने वाले अभियुक्त त्रिलोकचन्द्र उपरोक्त व उसकी महिला मित्र अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त गाड़ी न0 DL-8C-AQ-4237 रंग सफेद KUV 100 K4 (MAHINDRA) व अवैध पिस्टन 0.32 बोर व दो जिन्दा कारतूस के गिरफ्तार किया गया है।

## पूछताछ का विवरण

अभियुक्त त्रिलोकचन्द्र द्वारा पूछने पर बताया कि मेरी शादी करीब 10 साल पहले हुयी थी। कुछ दिन तक तो हमलोग ठीकठाक रहे मेरी एक 07 वर्ष की पुत्री भी है। मैं दवाइयों का काम करता था, करीब दो साल पहले मेरी जान पहचान एक महिला से हुयी थी, तभी से हमारा मिलना जुलना होने लगा और हम दोनों में प्रेम सम्बन्ध हो गये, मेरी पत्नी को इस बात की भनक लग गयी तो वह इसका विरोध करते हुये मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लगी और उसने यह बात मेरे घर पर मेरे पिता व भाईयो तथा अपने पिता व अपने भाईयो को बता दी, जिस कारण से दोनों

परिवार में झगड़ा होने लगा। मेरी पत्नी ने मेरे खिलाफ एक मुकदमा थाना खजूरी खास दिल्ली व महिला सेल दिल्ली में डाल रखा था, जिसकी पैरवी मेरी पत्नी व उसके पिता श्यौराज कर रहे थे। मेरे पिता ने भी मुझे घर से बेदखल कर के निकाल दिया था, करीब 4 महीने से मैं दिल्ली में ही रह रहा था, मेरी महिला मित्र ने मुझ पर अपनी पत्नी से तलाक देकर, मुझसे शादी करना के दबाव बना रही थी, मैंने भी अपनी पत्नी को तलाक देने का मन बना लिया था, लेकिन मेरे ससुराल वाले तैयार नहीं थे। मेरी महिला मित्र ने योजना बनायी थी कि आप अपनी पत्नी व उसके पिता को किसी तरह से रास्ते से हटाओ तभी हमारी शादी हो सकती है, योजना के मुताबिक दिनांक 30/1/2021 को रात्रि में मैं अपने कुछ साथियों को लेकर अपने ससुराल कोतवालपुर पहुँचा और गाड़ी का होर्न बजाया और गेट खटखटाया तो गेट खोलने के लिये श्यौराज सिंह आये, गेट खोलते ही हमसब ने अपने अपने असलाहो से ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिससे श्यौराज सिंह गोलिया लग गयी और वो जमीन पर गिर पड़े। गोलियों की आवाज सुनकर गाँव जाग हो गयी, और हल्ला गुल्ला होने लगा, हम इसी गाड़ी में बैठकर फरार हो गये थे।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता

1 त्रिलोक चन्द भाटी पुत्र सुभाष चन्द भाटी नि0 ई 449 गली न0 2, वेस्ट करवाल नगर थाना खजूरी दिल्ली 94

2 एक महिला अभियुक्ता

## बरामदगी

1 एक अवैध पिस्टन आलाकतल 32 बोर

2 02 जिन्दा कारतूस

3 घटना में प्रयुक्त गाड़ी न0 DL 8 C AQ 4237 रंग सफेद KUV 100 K4 (MAHINDRA)



## थाना साहिबाबाद जनपद गाजियाबाद

थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 2 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे 73 ग्राम अवैध एलप्राजोलम पाउडर बरामदा

दिनांक 01.02.2021

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 01.02.2021 को समय 05.10 बजे जीजी फार्म हाउस के गेट से 80 फुटा रोड पर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से **अभि0गण 1. अजहर पुत्र मो0 युनुस निवासी सी -11 डी0एल0एफ0 थाना सा0बाद गा0बाद उम्र 19 वर्ष** को मय 38 ग्राम अवैध एलप्राजोलम नशीला पाउडर व **2. शाहरुख उर्फ शहनबाज पुत्र जमील निवासी डी0 169 सब्जी मण्डी नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष** को मय 35 ग्राम अवैध एलप्राजोलम नशीला पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया है।

## अपराध कारित करने का तरीका:-

अभि0गण अजहर एवं शाहरुख उर्फ शहनबाज उपरोक्त ने पूछताछ में एक स्वर में बताया कि साहब हमारे पास एलप्राजोलम पाऊडर है, जिन्हे बेचकर हम धन अर्जित करते हैं। एवं अपना खर्चा चलाते हैं। अभि0गण से नशीला पाऊडर रखने के लाईसेंस के बारे में पूछा तो नहीं है जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 141/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम अजहर उपरोक्त एवं मु0अ0स0 142/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम शाहरुख उर्फ शहनबाज उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

## नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अजहर पुत्र मो0 युनुस निवासी सी -11 डी0एल0एफ0 थाना सा0बाद गा0बाद उम्र 19 वर्ष

**02. शाहरूख उर्फ शहनबाज पुत्र जमील निवासी डी0 169 सब्जी मण्डी नई सीमापुरी थाना सीमापुरी दिल्ली उम्र 24 वर्ष**

**पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-**

1. मु0अ0स0 141/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम अजहर उपरोक्त
02. मु0अ0स0 142/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम शाहरूख उर्फ शहनबाज उपरोक्त

**बरामदगी का विवरण:-**

01. अभियुक्त अजहर उपरोक्त के कब्जे से 38 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाऊडर
02. अभियुक्त शाहरूख उर्फ शहनबाज उपरोक्त के कब्जे से 35 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाऊडर

**थाना साहिबाबाद दिनांक 01.02.2021**

**थाना साहिबाबाद पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार कब्जे 260 ग्राम अवैध एल्प्राजोलम पाउडर बरामद।**

**कार्यवाही:-** जनपद गाजियाबाद में अपराधियों पर चलाये जा रहे अभियान के दौरान श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद श्री कलानिधि नैथानी महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक नगर द्वितीय महोदय के निकट पर्यवेक्षण तथा श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर चतुर्थ महोदय के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक साहिबाबाद श्री विष्णु कौशिक की टीम द्वारा दिनांक: 01.02.2021 को समय 08.45 बजे रेलवे स्टेशन के पास थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से **अभि0गण 1. मुकेश पुत्र राधेश्याम नि0 ई-59/02 कन्दर कालोनी दिलशाद गार्डन थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 27 वर्ष** को मय 110 ग्राम अवैध एल्प्राजोलम नशीला पाउडर व **2. नाजिम पुत्र मौदम्मद मुजफ्फर नि0 सी- 171 सोनिया कैम्प दिलशाद गार्डन थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 18 वर्ष** को मय 30 ग्राम अवैध एल्प्राजोलम नशीला तथा **3. महबूब पुत्र मसकूर निवासी गली न0 107 जवाहर पार्क शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष** मय 120 ग्राम अवैध एल्प्राजोलम नशीला पाउडर सहित गिरफ्तार किया गया है।



**अपराध कारित करने का तरीका:-**

अभि0गण उपरोक्त ने पूछताछ में एक स्वर में बताया कि साहब हमारे पास से जो एल्प्राजोलम पाऊडर बरामद हुआ है, उसे हम तीनों ने अलग अलग मेडिकल की दुकानों से एल्प्राजोलम की गोलियां खरीदकर था उन्हें पीसकर पाऊडर बनाया है इस पाऊडर को हम रेलवे स्टेशन, फैक्ट्री आदि में नशा करने वाले लोगों को बेचकर हम धन अर्जित करते हैं। एवं अपना खर्चा चलाते हैं। अभि0गण से नशीला पाऊडर रखने के लाईसेंस के बारे में पूछा तो नहीं है जिसके संबंध में थाना साहिबाबाद पर मु0अ0स0 143/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मुकेश उपरोक्त एवं मु0अ0स0 144/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम नाजिम उपरोक्त मु0अ0स0 145/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम महबूब उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त:-**

01. मुकेश पुत्र राधेश्याम नि0 ई-59/02 कन्दर कालोनी दिलशाद गार्डन थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 27 वर्ष ।
02. नाजिम पुत्र मौदम्मद मुजफ्फर नि0 सी- 171 सोनिया कैम्प दिलशाद गार्डन थाना दिलशाद गार्डन दिल्ली उम्र 18 वर्ष ।
03. महबूब पुत्र मसकूर निवासी गली न0 107 जवाहर पार्क शहीद नगर थाना साहिबाबाद गाजियाबाद उम्र 20 वर्ष ।

**पंजीकृत अभियोगो का विवरण:-**

01. मु0अ0स0 143/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम मुकेश उपरोक्त
02. मु0अ0स0 144/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम नाजिम उपरोक्त
03. मु0अ0स0 145/21 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट बनाम महबूब उपरोक्त

**बरामदगी का विवरण:-**

01. अभियुक्त मुकेश उपरोक्त के कब्जे से 110 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाऊडर
02. अभियुक्त नाजिम उपरोक्त के कब्जे से 30 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाऊडर
03. अभियुक्त महबूब उपरोक्त के कब्जे से 120 ग्राम एल्प्राजोलम नशीला पाऊडर

## थाना मुरादनगर

थाना मुरादनगर क्षेत्रान्तर्गत त्रिमूर्ति विहार मे हुई हत्या का घटना का थाना मुरादनगर पुलिस ने किया सफल अनावरण, पिता की हत्या करने वाले आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार,कब्जे से आलाकत्ल डण्डा बरामद ।

दिनांक 01.02.2021

**कार्यवाही-** दिनांक 31/01/2021 को एक अज्ञात व्यक्ति ने थाना मुरादनगर पर सूचना दी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक व्यक्ति की हत्या कर, उसके शव को जलाने की तैयारी कर रहे हैं। सूचना की गम्भीरता पर प्रभारी निरीक्षक मुरादनगर श्री अमित कुमार मय पुलिस बल के तत्काल मौके पर पहुँचे तथा शव को पुलिस के कब्जे में लेते हुए, आवश्यक कार्यवाही करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। पुलिस द्वारा शव की शिनाख्त तेजेन्द्र त्यागी निवासी त्रिमूर्ति विहार जलालपुर रोड कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद के रूप में की गई। मृतक के बड़े पुत्र उमेश त्यागी की तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर मु0अ0स0 64/21 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था। अपने पिता की मृत्यु की सूचना न देने तथा शक के आधार पर मृतक के छोटे पुत्र नितेश त्यागी निवासी उपरोक्त को मय हत्या में प्रयुक्त आलाकत्ल डण्डे सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### घटना का विवरण/पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त नितेश त्यागी उपरोक्त ने बताया की उसने ही अपने पिता तेजेन्द्र त्यागी पुत्र ताराचंद त्यागी निवासी उपरोक्त की हत्या की है। अभियुक्त ने बताया कि उसका पिता उसकी पत्नी पर गलत नजर रखता था। रात में जब वह ड्यूटी से आया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उसके पिता द्वारा उसके साथ शराब के नश में बदतमीजी की गयी है। बदतमीजी की हरकत पर मैंने अपने पिताजी को ऊपर से धक्का दे दिया वह डंडे से पीटकर उनकी हत्या कर दी। मैंने लोगो को बताया कि मेरे पिताजी को अज्ञात लोग पीटकर खेत में डाल गए हैं।

### अभियुक्त का नाम पता

नितेश पुत्र स्व तेजेन्द्र त्यागी निवासी त्रिमूर्ति विहार जलालपुर रोड कस्बा व थाना मुरादनगर गाजियाबाद

### बरामदगी

घटना में प्रयुक्त एक डण्डा

